<u>उत्तर मध्य रेलवे के साधारण एवं सहायक नियम की संशोधन पर्ची संख्या-56 दिनांक-14.01.2019 का राजभाषा में अनुवाद</u> |

(संदर्भ: कार्यकारी निदेशक/संरक्षा-II, रेलवे बोर्ड का पत्रांक-2017/संरक्षा(ए&आर)/19/12 दिनांक-20.12.2018)

1. वर्तमान सा.नि. 1.01(1) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है-
   संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण संशोधन नियम, 2018 है |

2. वर्तमान सा.नि. 1.02 (30) और (31) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -

   (30) "मध्यवर्ती ब्लाक पोस्ट" का अभिप्राय इकहरी लाइन अथवा दोहरी लाइन अथवा बहु (मल्टीपल) लाइन पर क्लास 'सी' के ऐसे स्टेशन से है जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले ब्लाक स्टेशन से होता है ;

   (31) "मध्यवर्ती ब्लाक सिगनलिंग" का अभिप्राय इकहरी लाइन अथवा दोहरी लाइन अथवा बहु (मल्टीपल) लाइन पर एक मध्यवर्ती ब्लाक पोस्ट द्वारा किसी लंबे ब्लाक सेक्शन को दो भागों में बाँटकर उन्हें अलग-अलग ब्लाक सेक्शन बना देने वाली व्यवस्था से है ;

3. वर्तमान सा.नि. 3.40(1) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -
   सा.नि. 3.40 निकट (होम) सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तें -

(1) जब गाड़ी अंतिम (टर्मिनल) स्टेशन से भिन्न और किसी स्टेशन के निकट (होम) सिगनल की ओर आ रही है, तो सिगनल को, गाड़ी निकट (होम) सिगनल के बाहर खड़ी करने से पहले तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा, जब तक कि -

(क) दोहरी लाइन पर, प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल के आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है ; या

(ख) इकहरी लाइन पर, उन्मुख (ट्रेलिंग) काँटों से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है, या गाड़ी के रुकने के लिए नियत स्थान से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है |

4. वर्तमान सा.नि. 3.42 को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -

   सा.नि. 3.42 अंतिम रोक सिगनल या मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तें - (1) दोहरी लाइन पर, अंतिम रोक सिगनल या मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल गाड़ी के लिए तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लियर न प्राप्त हो जाए |

(2) इकहरी लाइन पर-

(क) गाड़ी के लिए अंतिम रोक सिगनल को तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लियर न प्राप्त हो जाए ;

(ख) मध्यवर्ती ब्लाक सिगनलिंग के लिए -

(i) पहले, यातायात की दिशा निर्धारित की जाएगी और तब यातायात की निर्धारित दिशा के अनुसार अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त किया जाएगा ;

(ii) यातायात की दिशा निर्धारण के बाद ही 'स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लाक सेक्शन' में गाड़ी संचालन की अनुमति दी जाएगी ; और

(iii) मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लियर न प्राप्त हो जाए और यातायात की दिशा निर्धारित नहीं की गई हो |

स्पष्टीकरण :- इकहरी लाइन के मध्यवर्ती ब्लाक सिगनलिंग पर, दो निकटवर्ती ब्लाक स्टेशनों के बीच की लाइन को दो उप सेक्शनों में विभाजित किया जाता है, पहले सेक्शन जिसे 'स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लाक सेक्शन' कहा जाएगा और मध्यवर्ती ब्लाक सिगनल से अगले ब्लाक स्टेशन के पहले रोक सिगनल के बीच के सेक्शन को 'ब्लाक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लाक सेक्शन' कहा जाएगा |

दिनांक : 19.02.2020.

रवि वल्लूरी

(रवि वल्लूरी)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक